उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग मे आरक्षण) विधेयक, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 वर्ष 2021)

राज्य सरकार द्वारास्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्तराज्य के कतिपय शैक्षिकसंस्थाओं में अध्यापक स्वर्गहेतुअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्यपिछड़े वर्गोंतथाआर्थिक रूप से कमजोर वर्गों केव्यक्तियों की सीधी भर्तीद्वारानियुक्तियों में पदो के आरक्षण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित बनाया जाता है :-

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्था (अध्यापक स्वर्ग आरक्षण) अधिनियम,2021 कहा जायेगा।

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'समुचित प्राधिकारी' का तात्पर्यकिसी राज्य शैक्षिक संस्था मेंउच्च शिक्षा कें मानको के अवधारण समन्वय या अनुर्क्षणकेलियेविश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (अधिनियमसंख्या 3 वर्ष 1956) के अधीन स्थापितविश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधवा किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीनस्थापित किसी अन्यप्राधिकरण या निकाय से है;

(ख) "अध्ययन शाखा"कातात्पर्यस्नातक(पूर्व स्नातक), मास्टर(स्नातकोत्तर) औरडॉक्ट्रेटस्तरों पर लोन मूल अहंता स्तरों हेतु किसी प्रमुख अध्ययन शाखा सेहै;

(ग) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापन हेतु पात्र व्यक्तियों से सार्वजनिक विज्ञापनके सापेक्ष आवेदन आमंत्रित करते हुए संकाय की नियुक्ति की प्रक्रिया सेहै;

(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोंके लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अधीन यथा परिभाषित नागरिक के आर्थिक रूप के कमजोर वर्गों से है;

(ङ) "संकाय" का तात्पर्य किसी राज्य शैक्षिक संस्था संकाय से है;

(च) अल्पसंख्यकोंशैक्षिक संस्थाकातात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) के अधीनअल्पसंख्यकोंद्वारास्थापित और प्रशासित तथा राष्ट्रीयअल्पसंख्यकशैक्षिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (अधिनियम संख्या 2 सन् 2020) के अधीनअल्पसंख्यकशैक्षिक संस्था के रूप में घोषित किसी संस्था से है;

(छ) "अन्य पिछडे वर्गों"कातात्पर्यउत्तरप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जांतियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्यपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2004 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन अधिसूचित अन्यपिछड़े वर्गोंसे है;

(ज) "स्वीकृतसंख्या"कातात्पर्यसमुचित प्राधिकारीद्वाराअनुमोदित अध्यापक संवर्गसें पदों की संख्यासे है;

(झ) "अनुसूचित जातियों" का तात्पर्यउत्तरप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्यपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन अधिसूचित अन्यपिछड़े वर्गों से है;

(ञ) "अनुसूचित जनजातियों" का तात्पर्य उत्तरप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्यपिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अधीन अधिसूचित अन्यपिछड़े वर्गों से है;

(ट) "राज्य शैक्षिक संस्था" का तात्पर्य—

(एक) किसी राज्यअधिनिकम द्वारा या तद्धीनस्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से है;

(दो) राज्य सरकार से अनुदानप्राप्त और किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तद्धीन स्थापित या निगमित किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, सहयुक्तकिसी राज्य या उसके घटक संस्थासे है;

(तीन) सोसाइटीरजिस्ट्राकरण अधिनियम 1880 (अधिनियम संस्था 21 सन् 1860) के अधीन स्थापित और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त किसी चिकित्सा शिक्षा संस्था से है;

(चार) ऐसी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, जहा सरकार द्वारा सामान्यराज्यस्तरीय संवर्ग सृजित किया गया हो, के एक सहयुत्त समूह से है;

(ठ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरप्रदेश सरकार से है;

(ड) "अध्यापकसंवर्ग"का तात्पर्यअध्ययन शाखा था संकायपर ध्यान दिये बिना किसी राज्य शैक्षिक संस्था के ऐसे समस्त अध्यापकों के वर्गसे है, जो किसी भत्ता या बोनस कोछोड़कर एक ही ग्रेड वेतन में पुनसंख्याकित किये जाते है।

3—(1) तत्समयप्रवृत्त उत्तरप्रदेश राज्य के किसीअन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा विहित सीमा तक तथा रीति से किसी राज्य शैक्षिक संस्था में अध्यापक संवर्गकी स्वीकृतसंख्यामें सीधी भर्ती के पदों का आरक्षण होगा।

(2) पदो के आरक्षण के प्रयोजनार्थ किसी राज्यशैक्षिकसंस्था को एक इकाई माना जायेगा।

4—धारा 3 के उपबंध, निन्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:—

(क) कोई अल्पसंख्यक शैक्षिकसंस्था;

(ख) उत्कृष्ट संस्थाएं, अनुसंधान संस्थाएं, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की संस्थाएं।

5—राज्य सरकार गजट में अधिसूचनाद्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनोंको क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

6—इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वाराकृत प्रत्येक अधिसूचना, इसे किये जाने के पश्चात्यथाशक्य शीघ्रराज्य विधान मंडल के दोनों सदनो के सक्षम रखा जायेगा।

7—(1)राज्य सरकार किन्हीकठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध आदेश मेंविनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवद्धन या लोप जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समक्षे, के माध्यम से प्रभावी होगे

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रप्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्यथाशक्यशीघ्रराज्य विधान मंडल के दोनों सदनो के सक्षम रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

विभाग को एक इकाई मानते हुये सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य पद पर आरक्षणक्रियान्वित किये जाने के लिये शासनादेश जारी किये गये थे।केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं में अध्यापन पदों पर आरक्षणक्रियान्वित किये जाने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीयविश्वविद्यालय/ केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं को एक इकाई मानते हुये केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया है।

उपरोक्तकेन्द्रीय अधिनियम के अनुसार सीधी भर्ती के अध्यापन के पदों के लिये आरक्षण और सौबिंदुओ वाला रोस्टर लागू करने के लिये शासानादेश संख्या 977/70-1-2019-16(29)-2019, दिंनाक 02 सितंबर, 2019 तथा संख्या 978/70-1-2019-16(29)-2019, दिंनाक 02 सितंबर, 2019 जारी किये गये थे जहाँ किसीराज्यविश्वविद्यालय तथा किसी राज्य शैक्षणिकसंस्था को क्रमश: एक इकाई माना गया था।

राज्यविश्वविद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविघालयों को एक इकाई मानते हुये सीधी भर्ती के अध्यापन पदों पर आरक्षण औरसौ बिंदुओं वाला रोस्टर लागू किये जाने हेतु उपरोल्लिखितशासनादेश को एक अधिनियम द्वाराप्रतिस्थापितकिये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार 'उत्तरप्रदेश शैक्षिकसंस्था(अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2021' पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।